

तारीख
हुकम

न्यायालय उपखंड अधिकारी

विशिनाराव पुनाराव

विशिनाराव तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

पदेन सहायक न्यायाधीश कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

करेडा (बीलवाक)

303/17 वाद


उत्पत्ती पुनाराव का 1/4 हिस्सा रकम में अभिलिखित है।
उपरोक्त 1/4 हिस्से से
नोशनल शेयर के आधार पर
स्वयं का तथा उसके दो अन्य भाइयों
के समानुपात में एक हिस्सा
दर्ज करवाने हेतु कार्यवाही करके
पुनः पत्र अस्तुत हुआ।

विपरीत परोक्ष रूप से
वपन है कि उत्पत्ती सं. 1 वाली
का पिता है उसके बेटे पुत्र
पुत्रियाँ हैं इसका सब में उल्लेख
नहीं है। अतः वाली के वापिस
को श्रुति उत्पत्ती सं. 1 की संपदा
का अती बंधन नहीं हुआ है।
अतः पिता के जीवित होते हुए
पुत्र को श्रुति दी जाना संभव
नहीं बताया एवं वादपत्र (पारज
की मांग की।

रिजल में क्वील वाली द्वारा
निवेदन किया गया कि राज स अप-8
उपशासन सचिव जयपुर द्वारा
पारिपरीपत्र क्रमांक प. 54/राजस
097/18 दिनांक 3/11/2007 से स्पष्ट
किया गया है कि पं. व. श्रुति का
पति का जन्म से आधार है।
हिन्दु उत्तराधिकार में पिता की
संपत्ति में पुत्र/पुत्री होने का

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक न्यायाधीश

तारीख हुक्म	303/17 वाद न्यायालय उमरखंड हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज केंद्र (पितामही)
	<p> ही जन्म से ही कुचिबारा एम.ए.ए. इलाहिये पहक कूमी मे पिता कजतन मे ही जोतवा विभाजन करा सक्ते है सहबुधक बन सकते है। उक्त परिपत्र मे स्पष्ट विचार गुणा विचार है कि सहमत है अथवा सहमत नही है हा तो ही शक्य सी पत्रा 88 के तहत घोषणात्मक वाद पेश कर विभाजन करा सकता है। अतः उक्त निर्णय की रोटी में उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र बहक वादी तथा उत्तरी सं० 02 एवं 03 विरुद्ध उत्तरी सं० 01 वाद पत्र स्वीकार किए जाने के साथ साथ प्रतिवादी सं० 01 के पक्ष में वर्तमान जमावदी में अंतर्गत एक हिस्से का से 1/3-1/3 एक हिस्से का रखते पर वारित का घोषित किये जाने की न्यायालय द्वारा घोषणा की जाती है। :: आदेश :: वादी का वाद पत्र बहक वादी तथा उत्तरी सं० 02 क 03 विरुद्ध उत्तरी सं० 01 स्वीकार किये जाने से तथा स्वतंत्र करित कार घोषित किए जाने से पूर्व राज स्व गुाम द्वारा ए.एम स्वतंत्र राज स्व गुाम तीरवी का वा विभा तहसील करण स्थित कानन 15, 21 से अगा पर 30, 61 से 63, 66 से 75 एवं 103, 104, 105, 126 कुल वि. - 21 रक्बा 0.02 बीघा जिसमें उत्तरी सं०-1 </p>
उमरखंड अधिकारी पं.म सहायक कलक्टर केंद्र	

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखंड अधिकारी 303/17 वा 15 पदेन सहायक क्लर्क कार्यवाही मसुदा पेशियर्स जज करेड़ा (भीलवाड़ा) विराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p> का 1/4 एक हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है के साथ-साथ वारी एवं छतिवारी सं 2 व 3 का भी एक हिस्सा 1/4 - 1/4 दर्ज करते हुए स्वयं छतिवारी का भी अंतराल की विरासत से प्राप्त एक हिस्से में छतिवारी सं 0-1 का भी एक हिस्सा 1/4 दर्ज रेकॉर्ड किए जाने व अंतर प्रदान किये जाते हैं। पालनाथ लहरीलकर कर के वगेर खरा जावे। वदनुसार डि की मुक्ति हो। पञ्चवसी दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फसल शुमा र्षी निर्णय सरे इजलाश सुनाय गया। </p> <p>  उपखंड अधिकारी पदेन सहायक क्लर्क करेड़ा </p>	